

2025/895

6.3.2028

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रुकमा बनाम हेमराज आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दिवानी प्रकरण संख्या 10 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.11.2025	<p>केवियट कर्ता ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148ए सी.पी.सी. पेश किया। वकील केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो स्थगन/आदेश जारी करने से पूर्व मुझ केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 25.02.2026 को पेश हो।</p>	
25.2.2026	<p>कुल 10 पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी। तारीख 25.2.2026 को पेश हो</p> <p>7</p>	
6.3.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। केवियट प्रार्थना पत्र के 90 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए केवियट प्रार्थना पत्र जारी किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम आजाकर वाद तारीख तय करके जाब्ता दाखिल करवाकर हो</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	